न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 3/2019 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 –2019/00119

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्री नाथूलाल आत्मज ईश्वरलाल
2. रत्तीराम आत्मज ईश्वरलाल
3. राजेन्द्र आत्मज ईश्वरलाल
4. बिरधीलाल आत्मज ईश्वरलाल
5. घींसी बाई, पुत्री ईश्वरलाल
6. रतनबाई पुत्री ईश्वरलाल

जाति बलाई निवासीगण ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थिति

1. श्री पेरोकार सरकार
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्राथी

निर्णय

दिनांक –24/09/2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी श्री नाथूलाल, रत्तीराम, राजेन्द्र, बिरधीलाल, घींसी बाई, रतनबाई पिता ईश्वरलाल जाति बलाई निवासी उम्मेदपुरा को ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 236 रकबा 0.85 हे0 किस्म नहरी द्वितीय में अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय प्लानिंग कर दी गई है जो कि आवंटन नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहित प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए उक्त आवंटन निरस्तीकरण हेतु नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री रघुवीर राठौड़ अभिभाषक उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी प्रकरण में वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट पत्र दिनांक 5.9.2024 से प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।
3. वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा में साबिक खसरा नम्बर 379/9 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 320 /9 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल 2 किता की 5 बीघा 2 बिस्वा आराजी आवंटन अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 16.4.1963 को प्रतिपक्षीगण के दादाजी देवलाल वल्द लक्ष्मण जी को कीमतन आवंटन की गई, तत्पश्चात मौके पर आराजी पर देवलाल जी को दखल

जिला कलेक्टर
कोटा

दे दिया गया था । उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 33 से देवलाल वल्द लक्ष्मण जी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । देवलाल जी उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराज पर प्रतिपक्षीगण के पिता तथा वर्तमान में प्रतिपक्षीगण बहैसियत मालिक काबिज काश्त है । इस प्रकार वक्त आवंटन से ही प्रतिपक्षीगण के दादाजी व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान व प्रतिपक्षीगण आवंटन शर्तो की पालना करते हुये उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है और वर्तमान में भी काबिज काश्त है । भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल सेटलमेंट सम्वत 2038–57 में उक्त साबिक खसरा नम्बर 379 /9 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 320/9 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 236 रकबा 0.85 हे0 कायम किये गये । देवलाल वल्द लक्ष्मण जी की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी प्रतिपक्षीगण के पिता ईश्वरलाल पुत्र देवलाल जी के नाम दर्ज हुई तथा ईश्वरलाल जी की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 159 दिनांक 26.10.2015 से प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज की गई । इस प्रकार वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिस पर काबिज काश्त है । आवंटन की बकाया संपूर्ण राशि भी जमा करवा दी गई, कोई राशि बकाया नहीं है । गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु अनेक बार प्रार्थना पत्र दिये किन्तु खातेदारी प्रदान नहीं की गई । उक्त आराजी के प्रतिपक्षीगण के दादाजी आवंटन नियम 1970 के नियम 14(1) के अनुसार आवंटन के 10 वर्षो के पश्चात कानूनन खातेदार हो गये थे, उनके द्वारा आवंटन की शर्तो की पूरी पालना करते हुये तत्समय संपूर्ण राशि जमा करवा दी गई थी, उसके पश्चात भी उनको खातेदारी नहीं दी गई । इस प्रकार प्रतिपक्षीगण उक्त आराजी पर विगत 60 वर्षो से अपने दादाजी के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट में भी प्रतिपक्षीगण का काबिज होना प्रमाणित है । प्रतिपक्षीगण उम्मेदगंज के निवासी है । इस प्रकार प्रतिपक्षीगण का काबिज होना प्रमाणित है । प्रतिपक्षीगण उम्मेदगंज के निवासी है । इसलिये उक्त आराजी को प्रतिपक्षीगण अपने नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हो गये है । प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भाविक रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रस्तुत किया है जिसको उक्त आधारों पर निरस्त किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें तथा प्रतिपक्षीगण के नाम ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 236 रकबा 0.85 हे0 आराजी नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें । वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2011(1) page 383, RRT2018(1)page 285, RRT 2023 (1) page 559 प्रस्तुत किये है ।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 16.4.1963 को साबिक खसरा नम्बर 379/9 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 320/9 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वां के नवीन खसरा नम्बर 236 रकबा 0.85 हे0 भूमि प्रतिपक्षीण के दादाजी देवलाल वल्द लक्ष्मण जी को की गई भूमि आवंटन जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है को निरस्त कराने का आवेदन नियम 14(4) के तहत इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा आवासीय प्लानिंग कर दी गई है जो कि आवंटन नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से आवंटन निरस्त करते हुए सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावें । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कब्जा काश्त करना बताया है तथा कब्जा काश्त की पुष्टि में संवत 2073, 2074, 2075 में क्रमशः चरी एवं चांवल की फसल होना अंकित है । संवत 2076 एवं 2077 में चांवल एवं गेहूं फसल काश्त करना दर्ज है, इसके साथ ही उक्त प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2024/4605–07 दिनांक 5.9.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस अनुसार उक्त खाता संख्या 70 पर आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय का

वाद संज्ञान में नहीं है मौके पर खसरा नम्बर 236 रकबा 0.85 हे0 भूमि के बीच में से कच्चा रास्ता निकला हुआ है व साथ ही उक्त भूमि पर धान (चांवल) की फसल हो रही है । उसके आस पास कुछ मकानों का निमार्ण भी हो रहा है जो कि खसरा नम्बर 236 से थोडी दूरी पर निर्मित होना बताया है । इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी अप्रार्थी के कथनों का समर्थन करते हुए मौके पर उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है । पूर्व में प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में पेश किया यह स्पष्ट नहीं किया है ।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 5.9.2024 अनुसार कब्जा काश्त होने से तथा वकील अप्रार्थी द्वारा भी कब्जा काश्त करने की पुष्टि में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकलों एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों की रोशनी में प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अप्रार्थी के हक में दिनांक 16.04.1963 को ग्राम उम्मेदगंज की हाल खसरा नम्बर 236 की रकबा 0.85 हे0 भूमि का किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है ।
6. निर्णय आज दिनांक 24.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा